भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

उच्च न्यायालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश

Jabalpur, the 17th May 2018

No. A-1300.—

AMENDMENT IN "THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH RULES, 2008."

1. In chapter IV, sub-clasue (ii) (1) of clause (b) of sub-Rule (1) of Rule 13, in the third line, between the' words "regular" and "bench", the word "division" shall be deleted.

2. In format No. 14 (Chapter X, rule 54), after the table of point No. 01 and before the point No. 02, following shall be inserted as follows :-

Particulars of Earlier Identical/Similar Matters

S. No.	Crime No.	Police Station with District	Offence U/S	Status of Arrest	Particulars of Bail Order with Case Number	Particulars of any Order with Case Number
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

By order of Hon'ble the Chief Justice,
MOHD. FAHIM ANWAR, Registrar General.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 जुलाई 2018

अनंतिम अधिसूचना

क्र. 729-1332-2018-ए-16.—मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 की धारा 59 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना नियम, 1959 में निम्नलिखित अनुसूची अनुसार नियम 20 के उप नियम (14) के पश्चात् उप नियम (15) जोड़े जाने का प्रस्तावित करती है, तथा उक्त अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (3) द्वारा

अपेक्षित किये गये अनुसार ऐसे समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिये प्रकाशित कर सूचित किया जाता है कि उक्त प्रस्ताव पर इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 2 माह की अवसान अवधि के उपरांत विचार किया जावेगा.

उक्त प्रस्ताव के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा, ऐसी किसी आपत्तियां सुझाव पर, जो विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा.

अनुसूची

प्रस्तावित संशोधन

मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना नियम, 1959 में नियम 20 के उपनियम (14) के पश्चात् उपनियम (15) निम्नानुसार अतिरिक्त जोड़ा जाना प्रस्तावित है.

"(15) समस्त नियोजक जिनकी स्थापना मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 की धारा 6(1) में पंजीकृत है, स्थापना का नाम, नाम पट्टिका में हिन्दी भाषा में भी प्रदर्शित करेंगे."

PROVISIONAL NOTIFICATION

No. 729-1332-2017-A-XVI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 59 of the Madhya Pradesh Shops and Establishment Act, 1958 the State Government, hereby, proposes to add as per the following schedule the sub rule (15) after the sub rule (14) of Rule 20 in the Madhya Pradesh Shops and Establishment Rules 1959 and as per the requirment of sub-section (3) of Section 59 of the said Act, all the persons who are likely to be affected by this are informed that his proposal will be considered after the expiry of period of 2 months from the date of publication of this notification in Madhya Pradesh Gazette.

In relation to the said proposal, any such objection or suggestion from any such person received before the expiry of the specified period shall be considered by the State Government.

SCHEDULE

PROPOSED AMENDMMENT

Additional sub rule (15) is proposed tobe added after sub rule(14) of Rule 20 in Madhya Pradesh Shops and Establishments Rules 1959 as following :—

"(15) All employee, whose establishment is registered under sub-section (1) of Section 6 of the Madhya Pradesh Shops and establishment act 1958, shall display the name of the establishment on the sign board in Hindi also."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भास्कर लाक्षाकार, उपसचिव.

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, "मेट्रो प्लाजा", बिट्टन मार्केट, भोपाल—462016

भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2018

क्र. 1052-म.प्र.वि.नि.आ.-2018.—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181 की उपधारा (1) तथा धारा 181 की उपधारा (2) के खण्ड (वी) तथा (डब्ल्यू) सह पठित धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) विनियम, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) (पुनरीक्षण-प्रथम) विनियम, 2009 में प्रथम संशोधन [ए आर जी-17(I) (एक), वर्ष 2018]

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—1.1 इस विनियम का संक्षिप्त नाम "मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) (पुनरीक्षण-प्रथम) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2009" [एआरजी-17(I)(i), वर्ष 2018] है.

1.2 इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में होगा.

1.3 ये विनियम मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे.

2. **विनियमों में संशोधन.**—"मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) (पुनरीक्षण-प्रथम) विनियम, 2009 के विनियम 1.17, 1.22 तथा 1.25 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम स्थापित किए जाए, अर्थात्:—

"1.17 उपभोक्ताओं से अपेक्षित ऊर्जा प्रतिभूति निक्षेप (ईएसडी) की वार्षिक समीक्षा पूर्व वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च में की गई खपत के आधार पर प्रतिवर्ष माह जून तक की जाएगी. पूर्व वित्तीय वर्ष में पहली अप्रैल के पश्चात् संयोजन की दशा में, संयोजन की तारीख से मार्च तक की खपत की गणना की जाएगी. अनुज्ञप्तिधारी, उक्त पुनर्विलोकन के आधार पर उपभोक्ता से अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप (ए एस डी) के भुगतान हेतु, जुलाई से तीन समान किश्तों में देय मांग में वृद्धि कर सकेगा, यदि विनियम 1.7 (च) में विनिर्दिष्ट टैरिफ प्रभारों पर आधारित प्रतिभूति निक्षेप की रकम अनुज्ञप्तिधारी द्वारा धारित प्रतिभूति निधि की रकम से 100/- रुपये या इससे अधिक हो तो अपने विवेक पर, उपभोक्ता एक किश्त में अतिरिक्त सुरक्षा निधि की रकम का भुगतान कर सकता है.

इसी प्रकार, जमा की गई प्रतिभूति निक्षेप रकम आवश्यक राशि से 100/- रुपये या इससे अधिक पाई जाने की दशा में, उपभोक्ता को जुलाई तथा उसके बाद के विद्युत् देयकों में तीन समान किश्तों में अधिक पाई जाने वाली रकम का आकलन (क्रेडिट) कर सकेगा. विलंब की कालावधि के लिए आवश्यक आकलन (क्रेडिट) न किए जाने पर, अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को 1 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करेगा.

1.22 उपभोक्ता से ली गई प्रतिभूति निक्षेप नगद रकम पर, अनुज्ञप्तिधारी संयोजन की तारीख से बैंक दर से (संबंधित वित्तीय वर्ष की पहली अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत प्रचलित दर पर) ब्याज देगा. भारतीय रिजर्व बैंक से प्रचलित बैंक दर की जानकारी प्राप्त करने तथा बिलिंग मशीन के माध्यम से उपभोक्ताओं को संसूचित करने का उत्तरदायित्व अनुज्ञप्तिधारी का होगा.

1.25 प्रतिभूति निक्षेप की रकम संविदा मांग में कमी अथवा अनुबंध की समाप्ति अथवा नवीन विद्युत् संयोजन के आवेदन को निरस्त करने पर, समस्त शोध्यों समायोजन के पश्चात्, औपचारिकताओं की पूर्ति के 60 दिवस की कालावधि के भीतर, उपभोक्ता को वापस की जाएगी. 60 दिवस की कालावधि अधिक विलंब होने की दशा में, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 60 दिवस की कालावधि के परे हुए विलम्ब के लिए उपभोक्ता को प्रचलित बैंक दर से 1 प्रतिशत से अधिक

दर पर ब्याज देय होगा. अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि प्रतिभूति निक्षेप की प्रत्यर्पण अवधि विलंब की अवधि को मिलाकर कुल मिलाकर 120 दिवस से अधिक न हो, जिसमें असफल रहने पर आयोग द्वारा अनुज्ञप्तिधारी पर शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी.''

आयोग के आदेशानुसार,
शैलेन्द्र सक्सेना, आयोग सचिव.

Bhopal, 20th July, 2018

No. 1052-MPERC-2018.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) (v) and (w) of Section 181, Section 181(1) read with Section 47 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission, hereby, makes the following amendments to the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Security Deposit) Regulations, 2009, namely:—

First Amendment to Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Security Deposit) (Revision-I) Regulations, 2009 [ARG-17(1)(i) of 2018]

1. **Short title and Commencement.**—1.1 This amendment shall be called Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Security Deposit) (Revision-I) (First Amendment) Regulations, 2009 [ARG-17(I)(i) of 2018].

1.2 It shall extend to the whole of the State of Madhya Pradesh.

1.3 It shall be effective from the date of its publication in the Official Gazette of Madhya Pradesh.

2. **Amendment to the Regulations.**—In the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Secutiry Deposit) (Revision-I) Regulations, 2009, for the Regulations 1.17, 1.22 and 1.25 the following regulations shall be substituted, namely:—

"1.17 The amount of Energy Security Deposit (ESD) required from the consumer will be reviewed by the Licensee, annually by June on the basis of consumption billed during the previous financial year *i.e.* April to March. In case the connection was served after 1st April in the previous financial year, the period of consumption billed from the date of connection to the March may be worked out. Based on this review, the Licensee may raise demand on the consumer to pay an Additional Security Deposit (ASD) in three equal monthly instalments *w.e.f.* July, if the amount of Security Deposit so required based on the tariff/charges applicable as specified in aforesaid Regulation 1.7 (f) exceeds the amount of the Security Deposit held by the Licensee by Rs. 100/- or more. The consumer at its discreation may pay the amount of Additional Security Deposit in one instalment. Similarly, in case the amount of Security Deposit held by the Licensee is found to be more than the required by Rs. 100/- or more, necessary credit may be passed on to the consumer in three equal monthly instalments in its subsequent Electricity Bills w.e.f. July. The Licensee shall pay a simple interest @ 1% per month for the period of delay, if required credit is not passed on to the consumer timely.

1.22 The Licensee shall pay interest from the date of connection at the Bank Rate [Reserve Bank of India (RBI) rate as prevailing on 1st April of the concerned Financial Year], on cash Security Deposits accepted from the consumer. It shall be the responsibility of the Licensee to ascertain the prevailing Bank Rate from RBI and to inform the consumers through the billing mechanism.

1.25 The Security Deposit shall be refunded to consumer either in case of reduction in Contract Demand or upon termination of the agreement or cancellation of application for new service connection, within 60 days of completion of formalities after adjustment of all dues. In case of delay beyond 60 days period, interest @ 1% over and above the prevailing Bank Rate shall be payable to the consumer by the Licensee for the period of delay beyond 60 days. The Licensee shall ensure that overall period of refund including the period of delay does not exceed 120 days, failing which penalty may be imposed on the Licensee by the Commission."

By order of the Commission,
SHAILENDRA SAXENA, Commission Secretary.

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति के नियम 2007 में संशोधन

भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 2018

क्र. एफ 12-4-2018-चौवन-1.—पिछड़ा वर्ग के अभ्यार्थियों के विदेशों में उच्च शिक्षा हेतु योजना नियम 2007 में एतद्द्वारा निम्नानुसार संशोधन किये जाते हैं.

नियम 2- विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत पिछड़ा वर्ग के 10 विद्यार्थियों के स्थान पर प्रतिवर्ष 50 विद्यार्थियों छात्रवृत्ति प्रदाय करने की पात्रता होगी, एवं आगामी समय में QS रैंक 500 तक की संस्थाओं में अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को अनुमति दी जायेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार मालवीय, अवर सचिव.

वित्त विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2018

क्र. एफ 6-1-2018-नियम-चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 25 में, उप-नियम (1) में, खण्ड (ग) में, अंक "240" के स्थान पर, अंक "300" स्थापित किया जाए.

2. यह संशोधन, पहली जुलाई, 2018 से प्रवृत्त होगा.

No. F 6-1-2018-Rule-IV.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the follwoing amendment in the Madhya Pradesh Civil Services (Leave) Rules, 1977, namely:—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. In rule 25, in sub-rule (1), in clause (c), for the figure "240", the figure "300" shall be substituted.

2. This amendment shall come into forece 01st July, 2018.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज अग्रवाल, प्रमुख सचिव.